

आदेश पत्रक

करमन सिंह
ग्राम हंडवा
धाना-रमना

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

colored

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला गढ़वा सं० 104 सन 2012-13

केस का प्रकार परमिशन

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

8.1.2013

आवेदक करमन सिंह पिता
स्व० मनु सिंह गाति खरवार सा० हंडवा
धाना रमना जिला गढ़वा राज्य
झारखण्ड के निवासी हैं, इन्होंने
अपनी निम्नोक्ति ^{की} भूमि की विक्री
करने हेतु अनुमति की मांग की है।

भूमि का विवरण

ग्राम+धानाके	खता	खैत	रकबा	चौदही
हंडवा	54	42	0-88	डी.डी. के तहत
101			1	द० कुल खत निम्न
			0-88	प० असात अंशारी
				प० सिद्ध खवा

(अंशारी डी.डी. मांग)

आम इस्तफार निर्गत के संकेतित अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 12.1.2013 तक करें।

(Signature)
नगर उपायगी

1	2	3
---	---	---

सेवा नं.

विप

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अंचल अधिकारी रमना के पत्रांक 37 दिनांक 26/2/13 से जांच प्रतिवेदन एवं आम ईस्टवार्ड विधिवत प्रमाण के पश्चात् प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में उल्लिखित बिजा गया है कि केला एवं किंकेला दोनों एक ही ग्राम एवं धाना के क्षेत्र हैं एवं एक ही जमीन (अनुसूचित जमीन) के हैं। बिजेला प्रश्नगत भूमि की बिजेला के पश्चात् भूमि ही नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि बिक्री करने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं उनके अनुशंसा, बिजेला से ली गई गवाही के आधार पर C.M.T Act की धारा 46 के तहत बिजेला की उदय सिंह खखार व अमर दयाल सिंह खखार दोनों के पिता विष्णुमान सिंह खखार ग्राम पोस्ट - टंडवा धाना-रमना जिला-गढ़वा के निवासी करमन सिंह खखार पिता स्व० भनू सिंह खखार ग्राम - पोख - टंडवा धाना-रमना जिला-गढ़वा भारतखण्ड के द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुशंसा दी जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम + धाना न०	खेत नं.	क्षेत्रफल	रकबा	चौकड़ी
टंडवा 101	542	42	0.88 डी०	उत्तर - नीज किंकेला द० - जगनमन किंकेला प० - इस्मान अंतारी प० - बिरासिंह खखार

अवरनिबंधक पदाधिकारी / आवेदक के सूचित करें।

लेखापित / संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
नगर इलाहाबाद

अनुमंडल पदाधिकारी
नगर उन्नाव